



उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
दूरभाष न०- 0135-2662021, फ़ैक्स न०- 0135-2662180

ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: http://uic.gov.in

पत्रांक : 158

/उ.सू.आ./2022-23

दिनांक : 08 /04/2022

कृपया द्वितीय अपील की सुनवाई हेतु पूर्व में निर्गत नोटिस का सन्दर्भ ग्रहण करें। पूर्व में माननीय आयोग द्वारा निर्गत नोटिस में ऑडियो/विडियो के माध्यम से सुनवाई किये जाने के निर्देश दिये गये थे। वर्तमान में माननीय आयोग द्वारा दिनांक 28.03.2022 से द्वितीय अपीलों/शिकायतों की सुनवाई ऑडियो/विडियो के माध्यम से की जाने वाली व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है।

उपरोक्त के क्रम में वादी/प्रतिवादी द्वितीय अपील की सुनवाई हेतु नियत तिथि पर आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। लोक सूचना अधिकारी/विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई हेतु यदि अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को माननीय आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है तो उस स्थिति में कृपया प्रतिनिधि के रूप में किसी राजपत्रित/वरिष्ठ अधिकारी को ही नामित कर प्रतिनिधि के रूप में माननीय आयोग के समक्ष उपस्थित रहने हेतु अधिकृत पत्र सहित उपस्थित होना सुनिश्चित किया जाये।

क्र. सं.	वाद संख्या	अपीलकर्ता का नाम	प्रतिवादी	पूर्व निर्धारित तिथि	परिवर्तित तिथि
1	32669 / 2020	श्री हरिशंकर पाण्डेय, 129 ए/56, मधवापुर, बैरहना, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।	लोक सूचना अधिकारी/ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी देहरादून। विभागीय अपीलीय अधिकारी/ संयुक्त निदेशक, गु0नि0 कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, देहरादून।	28.05.2021	21.04.2022

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव,

प्रतिलिपि -

1. निजी सचिव, मा. मुख्य सूचना आयुक्त को, मा. मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मा. राज्य सूचना आयुक्त को, मा. राज्य सूचना आयुक्त श्री विवेक शर्मा महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव को आयोग की वैबसाईट में अपलोड करने हेतु।
4. निजी स्टॉफ मा. मुख्य सूचना आयुक्त को इस आशय से कि सम्बन्धित वादी प्रतिवादियों को व्यक्तिगत सुनवाई किये जाने के संबंध में अवगत कराना सुनिश्चित करें।
5. नोटिस बोर्डों पर चरपा हेतु।

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव,